प्रथम अपील अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम
एवं जिला कलक्टर उदयपुर
निर्णय द्वारा अध्यासित गौरव अग्रवाल आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या: 209 / **2025** (अपील सूचना का अधिकार)

Sharad Pandya Add: Near Ghantaghar Tripolia road, Andar ki Khabar Newspaper, Banswara, Raj.

..............**अपीलार्थी**

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशा.), उदयपुर

....................**प्रत्यर्थी**

प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांक: 04/05/2026

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत एक अपील ऑनलाईन क्रमांक 329099856777294 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि एक ऑनलाईन प्रार्थना पत्र दिनांक 03.11.2025 को प्रत्यर्थी के कार्यालय में प्रस्तुत कर सूचना चाही गई। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने से क्षुब्ध होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी से अपील पर जवाब तथा सूचना उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय के पत्रांक रीडर/सू.अ.2005/प्रथम अपील/209/25/1249–50 दिनांक 05.12.2025 तथा ऑनलाईन पत्र क्रमांक 1417472319 दिनांक 05.12.2025 से लिखा गया।

अपीलार्थी द्वारा उपस्थित होकर निवेदन किया कि चाही गई सूचना प्राप्त नहीं हुई है अतः सूचना दिलाये जाने का श्रम करावें।

लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशा.) उदयपुर ने जरिये पत्राक प./41/2/सू.अ/प्र.अ.स./209/25/220–21 दिनांक 16.02.2026 से प्रत्युत्तर प्रेषित करते हुए न्यायालय को अवगत कराया कि प्रार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना चाहने हेतु दिनांक 03.11.2025 को ऑनलाईन ओवदन प्रस्तुत किया गया। प्रार्थी द्वारा चाही गई वांछित सूचना संबंधित अनुभाग से प्राप्त कर इस कार्यालय के पत्रांक 71–72 दिनांक 13.01.2026 द्वारा कुल 7 पृष्ठों की सूचना जरिये रजिस्टर्ड डाक उपलब्ध करवा दी गई है। अतः प्रथम अपील निस्तारित करने का श्रम करावें।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में लोक सूचना अधिकारी द्वारा जरिये पत्रांक 71–72 दिनांक 13.01.2026 से जरिये रजिस्टर्ड डाक अपीलार्थी को सूचना प्रेषित की जा चुकी है। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध करवा दिये जाने से प्रकरण में अब किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19(1) के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील होने से खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को

RajKaj Ref No.: 21982047
M e-Sign

Signature valid
Digitally signed by Gaurav Agrawal
Designation: Collector & District Magistrate
Date: 2026.05.04 19:18:27 IST
Reason: Approved

[illegible] की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद कार्यवाही दाखिल
[illegible]दफ्तर हो।

(गौरव अग्रवाल)
प्रथम अपील अधिकारी,
सूचना का अधिकार अधि. एवं
जिला कलक्टर, उदयपुर

RajKaj Ref No.:
21982047
M e-Sign

Signature valid
Digitally signed by G[illegible]av Agrawal
Designation :Colle[illegible]r & District
Magistrate
Date: 2026.05.[illegible]9:18:27 IST
Reason: Approved